

**राज्य इकाई: उत्तर प्रदेश, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 31वीं संरचनात्मक बैठक,
दिनांक 29/08/2019 के कार्यवृत्त**

राज्य इकाई: उत्तर प्रदेश की 31वीं संरचनात्मक बैठक, दिनांक 29 अगस्त 2019 को पाँचवा तल, ए ब्लॉक के सभागार में, श्री परविन्दर सिंह गिल, उप महानिदेशक, राज्य इकाई: उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री हेमन्त कुमार, निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष ने अध्यक्ष महोदय, राज्य इकाई: उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षी अधिकारियों तथा अन्य सहयोगी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संरचनात्मक बैठक में स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय से स्वागत भाषण एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने समस्त पर्यवेक्षी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 31वीं संरचनात्मक बैठक में अभिवादन करते हुए कहा कि राज्य इकाई: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने पर भी आप लोग समस्त कार्यों का निस्तारण अच्छे से कर रहे हैं इसके लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूँ, उन्होंने समस्त पर्यवेक्षी अधिकारियों को पुनः निर्देश दिया कि समस्त वाउचर को जाँच कर एवं प्रतिहस्ताक्षरित करके ही बीजकों को अग्रसारित करें।

(कार्यवाही : समस्त पर्यवेक्षी अधिकारी, का0अ0एवं प्रशा. अधि.)

श्री हेमन्त कुमार, निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष ने राज्य इकाई: उत्तर प्रदेश की 30वीं संरचनात्मक बैठक के कार्यवृत्त की अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति की जानकारी देते हुए बैठक का आरम्भ किया। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची संलग्न है-

लम्बित मामलों के विवरण संबंधी ब्योरा

<p>XXXI_राइउप्र_सं बै_1-2</p>	<p>यात्रा भत्ता बीजकों के संबंध में कार्य सत्र 2018-19 एवं 2019-20 के शुरूआती क्षेत्र कार्य से संबंधित यात्रा भत्ता बीजकों के निस्तारण हेतु लगभग 10लाख रूपये की आवश्यकता है। इस मद में पुनः 3.5 लाख का आवंटन होने के उपरान्त भी कुछ अधिकारियों के कार्यसत्र 2018-19 के क्षेत्र कार्य से संबंधित यात्रा भत्ता बीजक बजट की अनुपलब्धता के कारण लंबित हैं। बीजकों का निस्तारण करके क्रम वार तरीके से वेतन एवं लेखा अनुभाग को लगातार भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि समस्त बीजकों के अनुसार जितना बजट चाहिए निदेशक, वित्त को बजट उपलब्ध कराने हेतु माँग पत्र तैयार करके भेजें। (कार्यवाही : समस्त पर्यवेक्षी अधिकारी, का0अ0एवं प्रशा. अधि.)</p>
<p>XXXI_राइउप्र_सं बै_IV</p>	<p>आरसीए/एनआरसीए अग्रिम बीजकों के संबंध में आर.सी.ए. में बजट सभी शीर्षों में (Tribal head छोड़कर) उपलब्ध है। अतः सभी बीजकों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि सभी पर्यवेक्षी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर बतायें कि किसी का पुराना आरसीए बीजक लंबित तो नहीं है। उन्होंने पुनः पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा आर.सी.ए/एन.आर.सी.ए./टी.ए. बीजकों को अपने स्तर से चेक करके अग्रसारित करें जिससे कि बीजक में आपत्ति लगने के कारण बिल भुगतान में हो रहे विलम्ब से बचा जा सके। (कार्यवाही : समस्त पर्यवेक्षी अधिकारी, का0अ0एवं प्रशा. अधि.)</p>

<p>XXXI_राइउप्र_सं बै_V</p>	<p>स्टोर से संबंधित खरीद के संबंध में</p> <p>स्टोर द्वारा अलमारी प्राप्त हो चुकी हैं एवं अन्य खरीद हेतु नई नीति के अनुसार अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरान्त भूरसायनिक मानचित्रण से संबंधित सैम्पल को रखने की बोटलों की खरीद का प्रस्ताव भण्डार प्रभाग को भेजा गया है। इस संबंध में विसंगतियों के कारण सही रूप से एवं प्रभारी अधिकारी, भण्डार की राज्य इकाई उत्तर प्रदेश में अनुपलब्धता के कारण इस संबंध में वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है।</p> <p>अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि राज्य इकाई की स्टोर से संबंधित प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक बजट की माँग पुनः प्रेषित करें एवं प्रभारी अधिकारी भण्डार, उत्तरी क्षेत्र से सम्पर्क स्थापित करके भूरसायनिक मानचित्रण से संबंधित सैम्पल को रखने की बोटलों को खरीद की प्रक्रिया को समयानुसार पूरा करें।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : का0अ0 एवं प्रशा0 अधि0)</p>
<p>XXXI_राइउप्र_सं बै_VI-02</p>	<p>श्री बृजेश कुमार, निदेशक (सेवानिवृत्त) का एलटीसी समयोजन बिल वेतन एवं लेखा कार्यालय भेज दिया गया है। जिसका भुगतान कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा मना कर दिया गया है।</p>
<p>XXXI_राइउप्र_सं बै_IX</p>	<p>पेंशन से संबंधित कार्यवाही</p> <p>श्रीमतीएम.डी.सन्थम्मा के पेंशन केस सी.जी.इ.आई.एस. की गणना करके अन्तिम भुगतान हेतु दिनांक 19/08/2019 को बिल वेतन एवं लेखा कार्यालय भेज दिया गया है।</p> <p>कु. नाज फातिमा (पुत्री श्री एस.ए.खान) पारिवारिक पेंशन से संबंधित पत्र दिनांक 19/08/2019 को वेतन एवं लेखा कार्यालय भेज दिया गया है।</p> <p>श्री शेरसिंह,सेवानिवृत्त चालक का पारिवारिक पेंशन से संबंधित पत्र दिनांक 16/08/2019 को वेतन एवं लेखा कार्यालय भेज दिया गया है।</p> <p>श्री एस.एम. आर. रिजवी, सेवानिवृत्त सहायक भूवैज्ञानिक का चिकित्सा से संबंधित पत्र दिनांक 16/08/2019 को वेतन एवं लेखा कार्यालय भेज दिया गया है।</p> <p>श्री निजाम अहमद का इंश्योरेन्स का भुगतान पुरानी कटौती के अनुसार संशोधित बीजक वेतन एवं लेखा कार्यालय भेज दिया गया है।</p> <p>श्री घनश्याम सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (सेवानिवृत्त) का रिवाइज पेंशन का मामला दिनांक 14/08/2019 को वेतन एवं कार्यालय भेज दिया गया है।</p> <p>श्री ए के सिन्हा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (डी) (सेवानिवृत्त) वेतन निर्धारण का मामला दिनांक 16/08/2019 को वेतन एवं कार्यालय भेज दिया गया है।</p> <p>श्री गोपेन्द्र कुमार, निदेशक (भू) (सेवानिवृत्त) निवास पता – का परिवर्तन होना था जोकि हो चुका है उन्होंने पुनः आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल एवं मोबाइल नम्बर इत्यादि के अपडेशन के लिए आग्रह किया है जोकि शीघ्र वेतन एवं कार्यालय भेज दिया जायेगा।</p> <p>श्री रामचन्द्र, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (सेवानिवृत्त) का अग्रिम पारिवारिक पेंशन एवं एक बधिर पुत्र से संबंधित मामले का अनुमोदन अपर महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्र से हो गया है। इसके आधार पर महानिदेशक कार्यालय से आवश्यक अनुमोदन हेतु पत्र शीघ्र प्रेषित किया जायेगा।</p> <p>अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिया कि पेंशन से संबंधित केसों का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया जाये ।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : का0अ0 एवं प्रशा. अधि.)</p>
<p>XXXI_राइउप्र_सं बै_X</p>	<p>आडिट पैरा आपत्तियों के संबंध में</p> <p>आडिट पैरा के संबंध में आन्तरिक आडिट के पुराने आडिट पैरा आपत्तियों को दूर करने की कार्यवाही में पुराने वेतन रजिस्ट्रों का पुनरावालोकन करके ट्रांसपोर्ट भत्ता की कटौती (recovery) के कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।</p> <p>श्री डी.पी.सिंह, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक की कटौती से संबंधित पत्र वेतन एवं लेखा कार्यालय भेजा गया था उसके जवाब में वेतन एवं लेखा कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है कि उनके पेंशन एरियर अगस्त 2019 के रू. 3806/- (रु. तीन हजार आठ सौ छः मात्र) काट कर कार्यालय को सूचित करें। यह पत्र पेंशन लेखा</p>

	<p>कार्यालय दिल्ली को वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा दिनांक 23/07/2019 को भेजा गया है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि ट्रांसपोर्ट एरियर से संबंधित 10 वर्ष पुराना रिकार्ड दूढ़ कर अतिशीघ्र इस आडिट पैरा आपत्तियों को दूर किया जाये।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : का0अ0एवं प्रशा. अधि.)</p>
<p>XXXI राइउप्र_संबै_/XII.02</p>	<p>दस्तावेज अनुभाग के संबंध में स्टोर द्वारा अलमारी प्राप्त हो चुकी हैं जिससे क्रमबद्ध तरीके से सेवा पंजिका रखी जा सके। कार्यालयाध्यक्ष महोदय ने बताया कि सेवा पंजिका का अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सत्यापन करने के उपरान्त क्रमबद्ध तरीके से दस्तावेज अनुभाग को शीघ्र ही व्यवस्थित किया जायेगा। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी सेवा पंजिकाओं का सत्यापन नहीं किया है उनकी सूची उपलब्ध कराकर उन्हें पुनः अनुस्मारक पत्र भेजा जाए।</p> <p>भूआँकड़ा प्रभाग द्वारा कम्प्यूटर अभी प्राप्त नहीं हुए है परन्तु पुराने कम्प्यूटरों में से एक रोकड़ अनुभाग एवं एक लेखा अनुभाग में कार्य कर रहे हैं। निदेशक भूआँकड़ा प्रभाग द्वारा यह जानकारी भी दी गयी कि अभी नये कम्प्यूटर आने वाले हैं अधिकारियों को नये कम्प्यूटर उपलब्ध कराने पर उनके पास जो पुराने कम्प्यूटर हैं वह खाली हो जायेंगे तभी कम्प्यूटर निर्गत किये जा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया कि स्थापना एवं लेखा अनुभाग में उपलब्ध कम्प्यूटर से ही कार्य को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाये।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : का0अ0एवं प्रशा. अधि.)</p>
<p>XXXI राइउप्र_संबै_/XII.03</p>	<p>चरित्र एवं जाति से संबंधित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन राज्य इकाई उत्तर प्रदेश से संबंधित कर्मचारियों के चरित्र एवं जाति से संबंधित प्रमाण-पत्रों के सत्यापन का कार्य जारी है। दिनांक 13/08/2019 को बलिया व देवरिया जिलों के सत्यापन हेतु श्री शिवम कुमार मौर्य को कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है और वह दौरे पर गए हुए हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, फतेहपुर व मथुरा के आठ सत्यापन कराए जाने बाकी हैं जोकि जल्दी ही पूरे कर लिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि सत्यापन से संबंधित प्रपत्रों के प्राप्त होते ही इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि पूर्ण किये गये सत्यापन से संबंधित रिपोर्ट को संकलित करके केन्द्रीय मुख्यालय को साथ-साथ भेजते रहें।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : का0अ0एवं प्रशा. अधि.)</p>
<p>XXXI राइउप्र_संबै_/XII.04</p>	<p>ओ. सी. बी. आई. एस. पोर्टल से संबंधित ओसीबीआईएस पोर्टल प्रशिक्षण न होने के कारण वार्षिक वृद्धि अपडेट करने में मुश्किल हो रही है। वार्षिक भत्ता बढ़ोत्तरी (इन्क्रीमेंट) की पीबीआर में अपडेट नहीं होने से क्लेम में मुश्किल हो रही है। इस संबंध में संबंधित कार्यालय सहायक को भूआँकड़ा अनुभाग से सम्पर्क करके संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने पुनः निर्देशित किया कि समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी आवश्यक रूप से ओसीबीआईएस पोर्टल के माध्यम से ही प्रेषित करें और इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों की सूचना सहायता समूह (हेल्प डेस्क) एवं अपने पर्यवेक्षी अधिकारी को तत्काल प्रेषित करें।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : का0अ0एवं प्रशा. अधि.)</p>
<p>XXXI राइउप्र_संबै_/XII.05</p>	<p>कार्यालय में दैनिक उपस्थिति के संबंध में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय में समय के अनुसार उपस्थित होने के सन्दर्भ में लेखा एवं स्थापना अनुभाग में कर्मचारियों को समय पर आने हेतु प्रेरित किया जा रहा है एवं इसका विवरण प्रत्येक कर्मचारी की वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) में किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि अधिकारी एवं कर्मचारी की बायोमेट्रिक उपस्थिति का समयबद्धता से पालन करें अन्यथा इसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : समस्त पर्यवेक्षी अधिकारी, का0अ0एवं प्रशा. अधि.)</p>

XXXI राइउप्र_संबे /XII.06	<p>सेवा पुस्तिका के संबंध में</p> <p>श्री मिर्जा जावेद बेग, कार्यालय सहायक ने सूचित किया कि अब तक केवल 20-25 अधिकारियों ने सेवा-पुस्तिका का सत्यापन किया है। सेवा पंजिका सत्यापन हेतु वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।</p> <p>अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि समस्त पर्यवेक्षी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन हेतु संबंधित कार्यालय सहायक से सम्पर्क स्थापित करने को कहें। साथ ही जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सर्विस के 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनकी सेवा पंजिका सत्यापन हेतु वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रेषित करें।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : समस्त पर्यवेक्षी अधिकारी, का0अ0 एवं प्रशा. अधि.)</p>
XXXI राइउप्र_संबे /XII.07	<p>56 (जे) के संबंध में</p> <p>नई नियमावली के अनुसार निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने पुनः निर्देश दिया कि 56 (जे) के संबंध में नई नियमावली का आवश्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं संलग्न प्रोफार्मा भर कर मासिक एवं त्रैमासिक लेखा आवश्यक रूप से उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु समय पर प्रेषित करें।</p> <p style="text-align: right;">(कार्यवाही : का0अ0 एवं प्रशा. अधि.)</p>
<p>अध्यक्ष महोदय ने सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों, समस्त उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि राज्य इकाई में सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरी निष्ठा, लगन एवं समय पर समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यों को निष्पादित करें।</p>	

कार्यालयाध्यक्ष ने अध्यक्ष महोदय, पर्यवेक्षी अधिकारियों, समस्त उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया।

राज्य इकाई उत्तर प्रदेश की दिनांक 29 अगस्त 2019 को 31वीं संरचनात्मक बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची-

1. श्री परविन्दर सिंह गिल, उपमहानिदेशक
2. श्री हेमन्त कुमार, निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष
3. श्री धर्मेन्द्र भारती, निदेशक
4. श्री पुष्पेश नारायण, निदेशक
5. श्री हरीश कुमार, अधीक्षण भूवैज्ञानिक
6. श्री शम्भू नाथ, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
7. श्री रवि नेगी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
8. श्रीमती ऊषा देवी, वैयक्तिक सहायक
9. श्री वीरेन्द्र कुमार, एलआईए
10. श्री ओम प्रकाश निगम, सहायक
11. श्रीमती गीता गुप्ता, सहायक
12. श्री राम प्रकाश सिंह, सहायक
13. श्री हीरा लाल, सहायक
14. श्रीमती उर्मिला देवी, सहायक
15. श्री मिर्जा जावेद बेग, सहायक
16. कु शालिनी शुक्ला, अवर वर्ग लिपिक
17. श्री अभिनवय कृष्णन, अवर वर्ग लिपिक

